कलेक्टर से भिड़ने वाले विधायक को फटकार

प्रदेशाध्यक्ष ने नरेन्द्र सिंह कुशवाह को चेतावनी

व्यवहार को पार्टी लाइन के खिलाफ माना

कहा, ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 29 अगस्त. भिंड कलेक्टर को गाली देने और उन्हें मारने की नियत से हाथ उठाने वाले भाजपा विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह को प्रदेश भाजपा संगठन ने शुक्रवार को भोपाल तलब किया.

इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद और प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह ने कुशवाह से पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा लिया. इस दौरान संगठन ने विधायक के व्यवहार को गैरजिम्मेदाराना करार दिया. उन्होंने इस बेहद गंभीर मामला बताते हुए साफ किया कि आपका व्यवहार पार्टी लाइन के विपरीत है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भविष्य में इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं होगा. प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद के निवास पर हुई बैठक में कुशवाह को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित तीनों पदाधिकारियों ने साफ किया कि सार्वजनिक जीवन में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इस पर सबकी नजर होती है. भाजपा अपने जनप्रतिनिधियों से इस तरह की अपेक्षा नहीं रखती कि उनके आचरण से समाज में गलत संदेश जाये. यदि कलेक्टर या प्रशासन के किसी भी अधिकारी से किसी भी विषय पर चर्चा करना है तो इसके लिये प्लेटफार्म उपलब्ध है. सार्वजनिक रूप से गाली-गलौच करना शोभा नहीं देता. हमारे मतदाता अपने जनप्रतिनिधि से ऐसे व्यवहार की कतई उम्मीद नहीं करते. हमें उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना है. यदि कोई समस्या थी तो कलेक्टर से सीधी बात कर सकते थे. यदि वे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो फिर उच्च स्तर पर मामले को ध्यान में लाया जा सकता था.

> यहां बता दें कि तीन दिन पहले भिंड से भाजपा विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह ने भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को मारने के लिये हाथ उठा दिया था. इस दौरान गाली-गलौच भी की गई थी. कलेक्टर ने भी तैश में आते हुए कहा था कि रेत चोरी नहीं चलने दूंगा. इस पर विधायक ने कलेक्टर को ही चोर बता दिया था. कुशवाह के समर्थक भी कलेक्टर को चोर कहते हुए नारेबाजी करने लगे थे. ये घटनाक्रम सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया था. कुशवाह खाद संकट को लेकर कलेक्टर बंगले के बाहर बैठ गये थे. वे कलेक्टर से बाहर आकर बात करने की मांग कर रहे थे, लेकिन कलेक्टर ने उनकी बात नहीं मानी. बाद में कलेक्टर आये तो वे भड़क गये थे और कलेक्टर को ही धमका दिया था.

रेल मंडल में आरपीएफ ने शुरू किया 'मिशन ऑक्टोपस'

भोपाल, 29 अगस्त. भोपाल रेल मंडल की रेल सुरक्षा बल ने 'मिशन ऑक्टोपस' की शुरुआत की है. इसका उद्देश्य ट्रेनों और रेलवे परिसर में होने वाले अपराध जैसे पत्थरबाजी, मोबाइल चोरी, अनाधिकृत हॉकिंग-वेंडिंग, चैन पुलिंग, ट्रेस पासिंग और महिला संबंधी अपराधों को रोकना है.

जुलाई से अगस्त 2025 के बीच आरपीएफ ने अनाधिकृत हॉकिंग-वेंडिंग के तहत 1742 वेंडरों पर कार्रवाई की, जबकि 83 बच्चों को उनके परिजनों को सुरक्षित सुपुर्द किया गया. रेल परिसरों में अवैध प्रवेश करने वाले 370 लोगों पर भी कार्रवाई की गई. इसी अवधि में अलार्म चेन पुलिंग करने वाले 1004 लोगों पर जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा चोरी, पत्थरबाजी और महिला अपराधों से जुड़े 19 मामलों में भी कार्रवाई की गई है. नशा तस्करी पर रोक लगाने के लिए कस्टम विभाग के सहयोग से दो बड़े मामले पकड़े गए. इसमें भोपाल पोस्ट ने 24.18 किग्रा हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 24.18 करोड़ आंकी गई. वहीं, रानी कमलापति पोस्ट ने 5.50 किग्रा गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 1.20 लाख रुपये है. यह अभियान पश्चिम मध्य रेल के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त राजीव कुमार यादव के मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त डॉ. अभिषेक के निर्देशन में चलाया जा रहा है.

एक नजर में

सीएस जैन का कार्यकाल बढ़ाने के आदेश जारी

भोपाल. प्रदेश के मौजूदा मुख्य सचिव अनुराग जैन का कार्यकाल एक वर्ष और बढ़ाये जाने के आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया. केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया, जिसमें साफ किया कि जैन के कार्यकाल को एक सितंबर 2025 से लेकर 31 अगस्त 2026 तक की अवधि के लिये नियमों को शिथिल करते हुए बढ़ाया गया है. इसी के साथ अब जैन के एक वर्ष तक मुख्य सचिव बने रहने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. जैन का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा था.

परियोजनाओं की ऑनलाइन मॉनीटरिंग

नगरीय प्रशासन आयुक्त भोंडवे से मिला एडीबी का प्रतिनिधिमंडल

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 29 अगस्त. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग आयुक्त और मध्यप्रदेश अर्बन डेव्हलपमेंट कम्पनी के प्रबंध संचालक संकेत भोंडवे से शुक्रवार को भोपाल के शिवाजी नगर स्थित पालिका भवन में एशियन डेव्हलपमेंट बैंक एडीबी के प्रतिनिधि मण्डल ने सौजन्य मुलाकात की.

प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व एडीबी के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी विवेक विशाल ने किया. बैठक के दौरान आयुक्त भोंडवे ने प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि परियोजना की ऑनलाइन मॉनीटरिंग के लिये नवाचारों का उपयोग किया जा रहा है. इस दिशा में भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान का तकनीकी सहयोग लिया जा रहा है. इसके साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये आईआईटी रुड़की जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेषज्ञ सलाह ली जा रही है.

प्रदेश के 66 नगरों में जलप्रदाय

प्रदेश में एडीबी की आर्थिक मदद से प्रदेश के 66 नगरों में जल-प्रदाय, 2 नगरों में एकीकृत नगर विकास की परियोजना और 5 नगरों में सीवरेज परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है. आयुक्त भोंडवे ने प्रतिनिधि मण्डल को आश्वस्त किया कि एडीबी की मदद से निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जायेगा. एडीबी प्रतिनिधि मण्डल ने मध्यप्रदेश में संचालित परियोजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया. उन्होंने अर्बन डेव्हलपमेंट कम्पनी द्वारा अपनायी जा रही तकनीकी दक्षताओं की सराहना की. इस अवसर पर कम्पनी के प्रमुख अभियंता आनंद सिंह और परियोजना अधिकारी शैलेन्द्र गुप्ता ने कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी दी.

जिंसी चौराहे पर लगे बैनर से मचा बवाल

हरकत में आई पुलिस ने तुरंत हटाया, जांच शुरू

इंदौर,29 अगस्त. शहर की मुस्लिम बहुल कॉलोनी जिंसी चौराहे पर शुक्रवार को लगाए गए 'इस्लाम जिंदाबाद' लिखे बैनरों को लेकर विवाद खड़ा हो गया. मामले की खबर लगते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और हंगामा कर दिया.

उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बैनर धार्मिक माहौल बिगाड़ने की नीयत से लगाए गए हैं. मामले में पुलिस जांच कर रही है. हिंदूवादी नेता तन्नू शर्मा ने एसीपी विवेक सिंह से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई.

> शर्मा का कहना था कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के संदेश प्रचारित करना एकतरफा धार्मिक भावना भड़काने का प्रयास है. सूचना पर मल्हारगंज थाना पुलिस भी तुरंत पहुंची और एहतियातन बैनर हटा दिए. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई है. फिलहाल बैनर लगाने वालों की जानकारी जुटाई जा रही है और मामले की जांच जारी है.

गैस सिलेंडर वाहन के चालक ने तीन वाहनों को मारा टक्कर

शासन चौकी क्षेत्र का मामला, नशेड़ी चालक पुलिस के कब्जे में

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 29 अगस्त। शासन पुलिस चौकी क्षेत्र में आज दिन शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब इंडियन गैस सिलेंडर से भरी एक वाहन चालक ने तीन अलग-अलग स्थानों पर लगातार तीन वाहनों को टक्कर मार दिया, कई लोग घायल हुए हैं। वहीं वाहनों को भी भारी नुकसान हुआ है।

मौके पर पहुंची शासन पुलिस ने चालक को हिरासत में लेते हुये वाहन को जप्त कर बैढ़न कोतवाली में खड़ा कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार यह वाहन गोभा से बैढ़न की ओर जा रही थी। सबसे पहले गोभा चौकी क्षेत्र में ही यह गैस सिलेंडर से लदा मिनी ट्रक के चालक नशे में धुत्त होकर वाहन अनियंत्रित कर दूसरे गैस सिलेंडर लोड वाहन को ठोकर मार दिया। दूसरा वाहन भी पटल गया और सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद वहीं आगे बढ़ते हुए उक्त वाहन चालक ने म्यार पुल के पास पहुंचा, जहां अचानक उसने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके पैरों में गंभीर चोटें आईं। इसके बाद भी वाहन नहीं रुका और गनियारी के पास पहुंचकर एक फोर-व्हीलर को जोरदार टक्कर मार दी। लगातार तीन दुर्घटनाओं ने इलाके में दहशत फैला दिया। इधर चर्चा है कि वाहन चालक नशे में धुत्त था। जिसके चलते अनियंत्रित गति से वाहन चला रहा था।

चौकी प्रभारी ने चालक को लिया हिरासत में

उक्त घटनाओं की जानकारी मिलते ही शासन चौकी प्रभारी संदीप नामदेव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया। उन्होंने वाहन को कब्जे में लेते हुए चालक को तत्काल हिरासत में ले लिया। इसके बाद वाहन को बैढ़न कोतवाली परिसर में खड़ा कराया गया है। वही फिलहाल ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवारों की ओर से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। आरोपी चालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस आरक्षक से मारपीट करने वाले युवकों पर प्रकरण दर्ज

मारपीट के बाद आरक्षक को कार से घसीटा था

नवभारत न्यूज

रीवा, 29 अगस्त, सिविल लाइन थाना अन्तर्गत शिल्पी प्लाजा बी-ब्लाक के सामने गुरूवार की शाम एक आरक्षक के साथ दो युवको ने मारपीट कर कार के बोनट में लटकाकर घसीटा था. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियो के खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया है.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक गुरूवार की शाम 6 बजे शिल्पी प्लाजा में किसी काम से शाहपुर चौकी में पदस्थ आरक्षक अतुल पाण्डेय पहुंचे थे और पुलिस कंट्रोल रूम जा रहे थे. उसी समय उनकी मोटर साइकल से कार में हल्की टक्कर हो गई, जिसमें किसी को कोई नुकसान नही हुआ. लेकिन कार सवार युवक कार से उतरे और सीधे आरक्षक पर टूट पड़े. आरक्षक के साथ दोनो ने जमकर मारपीट की और उसके बाद कार लेकर भागने लगे. तभी आरक्षक अतुल ने उन्हे रोकने का प्रयास किया तो युवको ने कार के बोनट में लटका कर घसीटना शुरू कर दिया. यह देख आसपास के लोग दौड़ पड़े और बीच बचाव किया. उसी समय पुलिस पहुंच गई और आरोपियो को थाने ले गई. इस मामले में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया आरक्षक की रिपोर्ट पर आरोपी आलोक श्रीवास्तव एवं आदित्य केशरवानी दोनो निवासी रीवा के खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.

खिलाड़ियों को उप मुख्यमंत्री ने किया पुरस्कृत

रीवा, 29 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रीवा में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा फिट युवा फॉर विकसित भारत के उद्देश्य से आयोजित सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मेजर ध्यानचंद्र जी के चित्र पर पुष्प अर्पण कर उन्हें नमन किया और उत्कृट खेल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया.

महिला से छेड़खानी पर कुसमी थाने में मामला दर्ज

नवभारत न्यूज

सीधी 29 अगस्त, महिला के साथ छेड़खानी एवं मारपीट की धमकी देने के मामले में कुसमी पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार आरोपी राधिका प्रसाद कुशवाहा पिता राम सुंदर कुशवाहा उम्र 50 वर्ष निवासी जूरी, थाना कुसमी के द्वारा पीड़िता के घर में घुसकर छेड़खानी करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर मारपीट करने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने कुसमी थाना में आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया।कुसमी पुलिस ने अपराध क्रमांक 132/25, धारा 333 ,74, 75,(1)(1) बीएनडीएस3(1(डब्ल्यू-1)32 व्हीए, एससी /एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।

पुलिस अधीक्षक ने किया थाना अमिलिया का वार्षिक निरीक्षण

नवभारत न्यूज

सीधी 29 अगस्त, पुलिस अधीक्षक डॉ. रविन्द्र वर्मा ने थाना अमिलिया का वार्षिक निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर में परेड का निरीक्षण कर पुलिस बल के टर्नआउट की जांच की तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया।

इसके बाद उन्होंने समस्त स्टाफ से भेंटकर उनके स्वास्थ्य, व्यक्तिगत व विभागीय समस्याओं की जानकारी ली और तुरंत समाधान हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किए।निरीक्षण के दौरान मालखाना, शस्त्रागार, हवालात, विवेचना कक्ष, शिकायत शाखा, सीसीटीएनएस कक्ष, समंस-वारंट शाखा एवं व्हीसीएनबी रजिस्टर का गहन निरीक्षण किया गया।उन्होंने निर्देश दिए कि व्हीसीएनबी रजिस्टर में राजनीतिक, सामाजिक एवं भौगोलिक स्थिति का स्पष्ट विवरण दर्ज किया जाए।माइक्रो बीट रजिस्टरों को नियमित रूप से अपडेट रखा जाए। निरीक्षण के दौरान प्रमुख निर्देश दिए गए कि पुलिस कार्य में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म व आईसीजेएस ऐप्स का अधिकतम उपयोग करें।डिजिटल समंस/वारंट तामीली का नियमित निरीक्षण हो। ऑनलाइन एमएलसी व पीएम रिपोर्ट समय पर संधारित की जाए।सभी लंबित शिकायतों, मर्ग, अपराध एवं चालानों का समयबद्ध निराकरण हो।गुंडा एवं निगरानी बदमाशों की सरप्राइज चेकिंग कर नए निगरानी बदमाशों की फाइलें तैयार की जाएं।गंभीर अपराधों के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। विवेचना में ई-साक्ष्य व ई-रक्षक ऐप का अनिवार्य उपयोग किया जाए।अवैध रेत, शराब, जुआ, सट्टा व मादक पदार्थों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए।धार्मिक स्थल, बैंक व एटीएम की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी लगाना अनिवार्य किया जाए। रात्रि गश्त को और प्रभावी बनाया जाए ताकि चोरी व नकबजनी पर अंकुश लगे।मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई के साथ-साथ जनजागरूकता अभियान चलाया जाए।

In The Court Of I Additional Judge to Additional Motor Accident Claims Tribunal District Court, Sidhi

Presiding Officer: श्री राकेश कुमार सोनी

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

(MACC/0000201/2023)

वेवा इंद्रबसुआ पटेल......................वादी

Vs

अजय पटेल.... ....प्रतिवादी

प्रा. 654/25
08/07/25
Process Id- /2025
पेशी दिनांक:-06/11/2025

प्रेषिती-
(1) निरंजन पटेल कैलाश पटेल पता- निवासी चितवरिया नं.4 थाना अमिलिया जिला सीधी

यह कि प्रार्थी वेवा इंद्रबसुआ पटेल ने आपके विरुद्ध एमएसीसी के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें।

यह आज तारीख 26 July 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है

न्यायालय की मुद्रा

न्यायाधीश
(राकेश कुमार सोनी)
सदस्य, प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण सीधी
जिला- सीधी (म.प्र.)

टिप्पणी:- पेपर प्रकाशन

कृपया ध्यान दें:-

1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

कार्यालय नगर पालिका परिषद सीधी (म.प्र.)

पृ.क्र.3550/न.पा./2025 सीधी दिनांक- 28.08.25

-:सार्वजनिक सूचना:-

समस्त नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि शांती समिति की बैठक दिनांक 25.08.2025 को दिये गये निर्देशानुसार विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री गणेश मूर्ति विसर्जन के अवसर पर दिनांक 06.09.2025 एवं 07.09.2025 को कोई भी मूर्ति सार्वजनिक तौर पर जलाशयों में विसर्जित नहीं की जायेगी, विसर्जन हेतु उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान क्रमांक 01 सीधी में निर्मित अस्थाई कुण्ड़ की व्यवस्था की गई है इसके साथ ही निकाय क्षेत्रांतर्गत बार्डो के घरों में विराजित छोटी मूर्ति के विसर्जन की व्यवस्था निकाय द्वारा वाहनो के माध्यम से ड्रमों में सोन नदी का पानी भरवाकर डोर टू डोर की गयी है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार श्री गणेश मूर्ति विसर्जन किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सीधी (म.प्र.)

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस कार्यालय प्राचार्य छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना मध्य प्रदेश

क्रमांक 2101/स्था./2025 पन्ना, दिनांक- 29 - 08- 25

-:निविदा सूचना प्रकाशनार्थ:-

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना में जन भागीदारी मद से बस सेवा प्रारंभ करने के लिए बंद लिफाफे में बस ऑनर्स से प्रति माह किराए की दर / भुगतान प्रति कार्य दिवस हेतु निविदा दिनांक 30.08.2025 से 19.09.2025 सायंकाल 4.00 बजे तक आमंत्रित है। निविदाकर्ता स्वयं उपस्थित होकर या डाक द्वारा निविदा इस कार्यालय में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा दिनांक 23/09/ 2025 को सायंकाल 3.00 बजे क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी ।अत: निविदा प्रदाता उक्त दिनांक एवं समय पर महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष में उपस्थित रह सकते है, यदि निविदाकर्ता उपस्थित नहीं होते हैं तो निविदा समिति द्वारा प्राप्त निविदा को प्राचार्य के समक्ष खोला जाएगा। निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र एवं अन्य शर्तों हेतु इस महाविद्यालय के कार्यालय से या वेबसाइट https://higherededucation.mp.gov.in/?orgid=305 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

प्राचार्य
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस
छत्रशाल शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय पन्ना (म.प्र.)

कार्यालय अधीक्षण अभियंता (संचा0 / संधा0) वृत्त म0प्र0पू0क्षे0वि0वि0कं0 लिमि0, सिंगरौली

विद्युत् प्रद्योति

E-mail- sconmsingrauli@gmail.com Phone - 07805-350260

क्र0/अ0अभि0 /सं0सं0 / टेण्डर / क्रय / 1682 सिंगरौली दिनांक 29.8.2025

-: निविदा सूचना :-

संचा. / संधा. वृत्त सिंगरौली के अन्तर्गत Empanelment of contractors to Award of Contract for up-gradation/Renovation of existing 33 / 11kV Outdoor Substation having PTRs of 3.15 MVA / 5 MVA / 8 MVA constructed under different schemes in O&M Circle Singrauli. आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण निम्नानुसार है-

Sr. No	Tender Specification No	Particular of work	Approx Value (Rs. in Lakhs)	Tender Fee (in Rs)	Due date & time of opening of tender online
1	TS NO.SE/O&M/SGRL /Pur/1672 Dtd. 28-08-2025 (e-Tender No. 2025_PKVVC_447563_1)	Award of Contract for system strengthening works for survery, installation, testing and commissioning of new 5 MVA 33/11kv Substation under different schemes in O&M Circle Singrauli.	130.19 Lakhs.	5000 + GST	15-09-2025

** SAVE TREES, SAVE PAPER, SAVE ELECTRICITY**

अधीक्षण अभियंता (संचा./संधा.)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.सिंगरौली

कार्यालय नगर पालिक निगम रीवा, जिला- रीवा (म.प्र.)

क्रमांक-815/ई-टेंडर/न.पा.नि./2025 रीवा, दिनांक 22.08.2025

//निविदा सूचना//

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक एवं जारी दिनांक तथा NIT क्रमांक/दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	2025_UAD_446240_1 26.08.2025 [FIRST CALL] 807/22.08.2025	जोन क्रमांक-03 अंतर्गत वार्ड क्रमांक-15 में तिवारी होटल के पीछे सतीश मिश्र जी के घर से मुख्य मार्ग तक RCC नाली निर्माण का कार्य। (CM Monit)	06 माह रु.63.73 लाख	रु.10000.00 रु.47798.00	26.09.2025 18.00 बजे तक ।
2.	2025_UAD_446241_1 26.08.2025 [FIRST CALL] 808/22.08.2025	जोन क्रमांक- 03 अंतर्गत वार्ड क्रमांक-25 में बाणसागर तिरहा पर हॉकर्स कॉर्नर निर्माण का कार्य।	04 माह रु.33.03 लाख	रु.5000.00 रु.24773.00	26.09.2025 18.00 बजे तक
3.	2025_UAD_446243_1 26.08.2025 [FIRST CALL] 809/22.08.2025	जोन क्रमांक-02 अंतर्गत वार्ड क्रमांक-08 में राजेन्द्र गुप्ता जी के घर से संतोष मिश्र जी के घर तक वार्ड पार्षद जी के घर से टर्निंग तक आनंद नगर में RCC सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य ।	04 माह रु.20.70 लाख	रु.5000.00 रु.15525.00	26.09.2025 18.00 बजे तक ।
4.	2025_UAD_446244_1 26.08.2025 [FIRST CALL] 810/22.08.2025	जोन क्रमांक-02 अंतर्गत वार्ड क्रमांक-09 में मुद्रिका पाण्डेय जी के घर से राजकुमार पटेल जी के घर तक, मंटू जी के घर से राजकुमार पटेल जी के घर तक, जे. बी. सिंह जी के घर से शेरा सिंह जी के घर तक, सतीश सिंह जी के घर से केदार शर्मा जी के घर तक और मंटू सिंह जी के घर से पार्क के पास तक सुंदर नगर में RCC नाली निर्माण का कार्य।	03 माह रु.15.93 लाख	रु.2000.00 रु.11948.00	26.09.2025 18.00 बजे तक ।
5.	2025_UAD_446245_1 26.08.2025 [FIRST CALL] 811/22.08.2025	जोन क्रमांक-04 अंतर्गत वार्ड क्रमांक-43 और 44 में कमांडेंट बंगला के सामने गुढ़ मेन रोड से महिला वन स्टाप सेंटर तक नाला निर्माण का कार्य। (CM Monit)	06 माह रु.68.03 लाख	रु.10000.00 रु.51023.00	26.09.2025 18.00 बजे तक ।
6.	2025_UAD_446246_1 26.08.2025 [FIRST CALL] 812/22.08.2025	जोन क्रमांक- 04 अंतर्गत वार्ड क्रमांक-44 में लक्ष्मण बाग मुक्तिधाम में पुताई, रिवर स्टेप तथा काऊ कैचर निर्माण का कार्य ।	03 माह रु.15.65 लाख	रु.2000.00 रु.11738.00	26.09.2025 18.00 बजे तक ।
7.	2025_UAD_446722_1 26.08.2025 [FIRST CALL] 813/22.08.2025	जोन क्रमांक-04 अंतर्गत वार्ड क्रमांक - 45 में गीता साकेत जी के घर से इंद्रभान सोंधिया जी के घर तक RCC नाली एवं पुलिया निर्माण का कार्य ।	03 माह रु.11.23 लाख	रु.2000.00 रु.8423.00	26.09.2025 18.00 बजे तक ।
8.	2025_UAD_446723_1 26.08.2025 [FIRST CALL] 814/22.08.2025	जोन क्रमांक- 04 अंतर्गत वार्ड क्रमांक - 45 में मोहम्मद फिरोज खान जी के घर से हनुमान जी के मंदिर तक RCC नाली एवं पुलिया निर्माण का कार्य।	03 माह रु.13.92 लाख	रु.2000.00 रु.10440.00	26.09.2025 18.00 बजे तक ।

नोट:- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाइट पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
जोन क्रमांक- 03
नगर पालिक निगम
रीवा (म.प्र.)